देवदासन

बनाम

द सेकंड क्लास एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम और ओआरएस।

(2022 की आपराधिक अपील संख्या 388) 09 मार्च, 2022

/

[इंदिरा बनर्जी और जे. के. माहेश्वरी, जे. जे.]

दंड प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 122(1)(ख), 111,117 और 110-शांति बनाए रखने और अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा-सुरक्षा की चूक में कारावास-तथ्यों पर, अपीलार्थी यू/एस द्वारा निष्पादित बांड की शुद्धता। 110 आरडब्ल्यूएस।117 एक आपराधिक मामले में अपनी संलिप्तता के कारण उसके द्वारा उल्लंघन किया गया, जो बाद में दर्ज किया गया-कार्यकारी मजिस्ट्रेट और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बांड की शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया और उसे धारा 122 (1) (बी) के तहत शक्ति का प्रयोग करने के लिए दंडित किया और उसे हिरासत में भेज दिया-हस्तक्षेप के साथ-आयोजित:उच्च न्यायालय और कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेशों में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है-आदेश यू/एस. एस. द्वारा पारित किया गया था।111 और सुरक्षा के लिए 117, और उल्लंघन पर, निर्दिष्ट यू/एस।122 अनुमेय था-नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके निपटा जा सकता है-कार्यकारी मजिस्ट्रेट द्वारा पारित आदेश प्रक्रिया का पालन करने के बाद था, इसलिए निर्धारित किया गया था और अपीलार्थी को उचित अवसर प्रदान किया गया था-इस प्रकार, उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश की सही पुष्टि की।

/

/

/

अध्याय VIII-उद्देश्य और दायरा-आयोजितःअध्याय VIII कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों द्वारा शांति और अच्छा व्यवहार बनाए रखने के लिए बंधन लेने की शक्तियां प्रदान करता है-विधानमंडल ने उक्त अध्याय पेश किया जिसमें अधिकारियों को इलाके के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था में शांति और शांति के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गईं, अन्यथा, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

/

/

याचिका खारिज करते हुए न्यायालय ने,

अभिनिर्धारित किया **:1.1** दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय **VIII.** कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सुरक्षा बनाए रखने के लिए बांड लेने की शक्तियां प्रदान करता है और **A**

/

868

869

देवदासन बनाम द सेकंड क्लास एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम और ओआरएस।

नागरिकों द्वारा शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए।धारा **107 Cr.P.C** के अनुसार**,** यह जानकारी प्राप्त करने पर कि किसी भी व्यक्ति के शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने या कोई गलत काम करने की संभावना है**,** कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शांति बनाए रखने के लिए इस तरह से निष्पादित बांड की शर्तों के उल्लंघन पर कारण दिखाने की शक्ति हो सकती है।संदिग्ध व्यक्तियों और आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा लेने के दंड प्रक्रिया संहिता **109** और **110** के अंतर्गत शक्तियां कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रदान की गई हैं।तत्काल मामले में**,** सुरक्षा के लिए धारा **111** और **117** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आदेश पारित किया गया था।उल्लंघन पर**,** धारा **122** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय स्वीकार्य है।इसलिए**,** विधानमंडल ने उक्त अध्याय पेश किया जिसमें अधिकारियों को इलाके के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था में शांति और शांति के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गईं**,** अन्यथा**,** निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके**,** सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।**[**पैरा **7] [873-**एफ-एच**; 874-**ए-बी**]**

/

/

/

1.2 अभिलेख पर ऐसा कुछ भी नहीं लाया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय **VIII** के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया का कैसे और किस तरीके से पालन किया गया है।यह एक सामान्य विधि है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निपटा जा सकता है।तथ्यों पर**,** अपीलार्थी यू/एस**.** एस**.** द्वारा निष्पादित बंधपत्र। **110/117** दंड प्रक्रिया संहिता एक आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण उसके द्वारा उल्लंघन किया गया है**,** जो बाद में दर्ज किया गया है।प्रतिवादी संख्या **1-**कार्यकारी मजिस्ट्रेट ने अवसर प्रदान करते हुए आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी को बांड के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया और धारा **122 (1) (**बी**)** दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दंडित किया गया। इसके अनुसरण में**,** उसे गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है।अपीलार्थी द्वारा निष्पादित बंधपत्र पर सवाल नहीं उठाया गया है।वास्तव में**,** विधि के अधिदेश के अनुसार बांड के उल्लंघन के कारण उसे हिरासत में भेजने का आदेश पारित करने की बाद की कार्रवाई पर हमला किया गया है।प्रत्यर्थी सं**. 1** द्वारा पारित आदेश इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया का पालन करता है और अपीलार्थी को उचित अवसर प्रदान करता है।उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश की सही पुष्टि की है।उच्च न्यायालय और प्रतिवादी संख्या **1** द्वारा पारित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।**[**पैरा **7-9] [873-**ई**-**एफ**; 874-**डी**-ई**,** ई**-**जी**]**

/

/

/

/

/

एल्डनिश बनाम दिल्ली राज्य **2018** एस**.** सी**.** सी**.** ऑनलाइन डेल **12207;** देवी बनाम कार्यकारी मजिस्ट्रेट **(**मैड एच**.** सी**.)**

2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 2706; प्रेम चंद बनाम भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 639:[1981] (1) एससीआर 1262;

गोपालनाचारी बनाम केरल राज्य **1980 (**पूरक**)** एस**.** सी**.** सी**.**

649 :[1981] एस**.** सी**.** आर**. 1271-**संदर्भित।संदर्भित निर्णय

/

[1981] (1) एससीआर **1262**

संदर्भित

पैरा **4**

[1981] एससीआर **1271**

संदर्भित

पैरा **4**

आपराधिक अपील न्यायनिर्णय:2022 की आपराधिक अपील संख्या 388।

/

2021 के मदुरै पीठ में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 22.07.2021 से Crl.RC (एम. डी.) No.379।

ए. वेलन, सुश्री नवप्रीत कौर, निरंजन एस. कुमार, रुद्राक्ष गुप्ता, ए. लक्ष्मीनारायणन, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए।

/

डॉ. जोसेफ अरस्तू एस., सुश्री प्रीति सिंह, सुश्री रिपुल स्वाति सिंह, संजीव कुमार महारा, अधिवक्ता।उत्तरदाताओं के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

जे**.** के**.** माहेश्वरी**,** जे**.**

/

1. अनुमति दी गई।

2. 2021 के आपराधिक आर. सी. (एम. डी.) संख्या 379 और सी. आर. एल. में पारित दिनांक 22.7.2021 के आदेश को लागू करना। मद्रास उच्च न्यायालय , मदुरै पीठ द्वारा 2021 की एम. पी. (एम. डी.) संख्या 3829,2021 की एम. सी. संख्या 95 (ए 3) में प्रतिवादी संख्या 1 के दिनांकित 13.5.2021 आदेश की पुष्टि करते हुए, वर्तमान अपील अपीलार्थी द्वारा दायर की गई है।

/

3. संक्षेप में तथ्य यह हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 और उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी को बंधपत्र की शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी पाया और उसे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 (1) (बी) (संक्षेप में "Cr.P.C") के अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करने के लिए दंडित किया।आक्षेपित आदेशों से संकेत मिलता है कि अपीलार्थी आपराधिक गतिविधियों में लिप्त था, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 1 ने नोटिस और अवसर प्रदान करने के बाद, धारा 110 (ई) Cr.P.C के साथ पठित धारा 117 के अंतर्गत 24.2.2021 पर आदेश पारित किया।अनुपालन में,

अपीलार्थी ने एक वर्ष की अवधि के लिए अच्छा व्यवहार और शांति बनाए रखने के लिए एक बांड निष्पादित किया और रु। 50, 000/ए

/

/

871

देवदासन बनाम द सेकंड क्लास एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम और ओआरएस। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

- उल्लंघन के मामले में सरकार को दंड के रूप में या अन्यथा धारा 122 (1) (बी) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत कार्यवाही का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि बांड के निष्पादन पर, वह हत्या के अपराध में शामिल पाया गया, जिसे उचिपुली पुलिस स्टेशन द्वारा भारतीय दंड संहिता की धारा 147/148/342 302 के साथ पठित धारा 109/120 (बी) के अंतर्गत 2021 की अपराध संख्या 149 के रूप में दर्ज किया गया था। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने दिनांकित 13.5.2021 आदेश के माध्यम से उसे बांड के उल्लंघन के लिए दोषी पाया, हालाँकि, उसकी गिरफ्तारी का आदेश दिया और उसे हिरासत में भेज दिया।उक्त आदेश की उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टि की गई है, हालांकि, यह अपील दोनों आदेशों को चुनौती देते हुए दायर की गई है।

/

4. अपीलार्थी की ओर से पेश विद्वान वकील श्री ए. लक्ष्मीनारायणन ने पुरजोर आग्रह किया है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पारित आदेश आमतौर पर निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और उचित अवसर प्रदान करते हैं।इस मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने

/

एल्डनिश बनाम दिल्ली राज्य 2018 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 12207

इन अधिकारियों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए।रिलायंस को देवी बनाम कार्यकारी मजिस्ट्रेट (मैड एच. सी.) 2020 एस. सी. सी. ऑनलाइन मैड 2706 के मामले में मद्रास उच्च न्यायालय के निर्णय पर भी रखा गया है, जिसमें उच्च न्यायालय ने पिछले निर्णय से अलग दृष्टिकोण लेते हुए मामले को इसी तरह के मुद्दे की सुनवाई के लिए डिवीजन बेंच का गठन करने के लिए माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष रखने का निर्देश दिया था।विद्वान वकील ने प्रेम चंद बनाम भारत संघ (1981) 1 एस. सी. सी. 639 में इस न्यायालय के एक निर्णय पर भी भरोसा किया है, जिसमें पुलिस कर्मियों को किस तरीके से कार्य करना चाहिए, यह निर्दिष्ट किया गया है, लेकिन व्यक्तिगत स्वतंत्रता को उनकी दया पर खतरे में नहीं डाला जा सकता है।इसके अलावा, निर्णय पर भरोसा रखना

/

/

गोपालनाचारी बनाम केरल राज्य 1980 के मामले में इस न्यायालय का

(उदाहरण के लिए) एस. सी. सी. 649, विद्वान वकील ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के महत्व और इसके महत्व पर जोर दिया।उक्त प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, उचित जांच के बिना बांड में शर्तों को लागू करना और उचित अवसर प्रदान करना पूरी तरह से अनुचित है, और अपीलार्थी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है और उसे बिना किसी समारोह के हिरासत में भेजा जा सकता है।5. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले विद्वान वकील डॉ. जोसेफ अरस्तू एस. का तर्क है कि अपीलार्थी के खिलाफ आठ आपराधिक मामले लंबित थे, इसलिए धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत शक्ति का प्रयोग करते हुए अच्छे व्यवहार का बंधन लिया गया था।उक्त बॉन्ड के उल्लंघन पर, धारा 122 (1) (बी) Cr.P.C के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के आधार पर, आक्षेपित आदेश सही ढंग से पारित किया गया है।यह आग्रह किया जाता है कि दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय VIII. संदिग्ध व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए बांड लेने के लिए कार्यकारी मजिस्ट्रेट को शक्तियां प्रदान करता है।अपीलार्थी ने शपथपत्र दिया

/

/

/

872

/

[2022] 1 एस सी आर।

बांड की शर्तों के उल्लंघन पर जिसके कारण उसके साथ धारा 122 (1) (बी) दंड प्रक्रिया संहिता अनुसार व्यवहार किया जा सकता है। बाद में, अपीलार्थी को हत्या के अपराध में शामिल पाया गया, हालांकि 7.5.2021 पर पेश होने के लिए एक कारण दिखाएँ नोटिस जारी किया गया था।अपीलार्थी द्वारा दायर जवाब में, मुचलके के निष्पादन को विवादित नहीं किया गया है और उसे हत्या के मामले में आरोपी बनाने से भी इनकार नहीं किया गया है, सिवाय इसके कि अपराध साबित किए बिना, वह उक्त कार्य के लिए जिम्मेदार नहीं हो सकता है। अपीलार्थी को अवसर प्रदान करने वाले सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी द्वारा 24.2.2021 पर निष्पादित बंधपत्र की शर्तों का उल्लंघन स्थापित करने पर 13.5.2021 पर आदेश पारित किया है।यह आग्रह किया जाता है कि उत्तरदाताओं द्वारा विचार की गई प्रक्रिया का पालन किया

गया है, हालांकि, उच्च न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया गया था, जिसके लिए संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

/

/

6. पक्षों के विद्वान वकील को सुनने और अभिलेख के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि 2012 से जनवरी, 2021 तक, अपीलार्थी के खिलाफ आठ आपराधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें साधारण और गंभीर चोट, चोरी और शस्त्र अधिनियम के अंतर्गत भी शामिल थे। प्रत्यर्थी संख्या 2 से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद, अपीलार्थी को कारण दर्शाएँ नोटिस जारी किया गया और प्रत्यर्थी संख्या 1 द्वारा जांच की गई।इसे आगे बढ़ाते हुए, उनका बयान दर्ज किया गया और जवाब भी लिया गया।प्रत्यर्थी संख्या 1 ने इस संतोष को दर्ज किया कि अपीलार्थी इलाके में शांति भंग कर सकता है, हालांकि उसे रुपये की राशि का मुचलका प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत एक साल की अवधि के लिए बिना मुचलके 50,000, जिसमें विफल रहने पर वह दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 122 (1) (ए) के अंतर्गत कारावास की सजा काट सकता है। पी. सी. या शर्तों के उल्लंघन के मामले में, धारा 122 (1) (बी) Cr.P.C का सहारा लिया जा सकता है।अपीलार्थी द्वारा निष्पादित बंधपत्र की सामग्री प्रासंगिक है इसलिए निम्नानुसार पुनः प्रस्तुत की गई हैः“एमसी नं. 95/2021

/

/

/

आदेश बनाया गया **U/S 117** दंड प्रक्रिया संहिता **110 (E) CR.P.C** के साथ पढ़ें।

यह मामला उचिपुली पुलिस स्टेशन में दर्ज मामले के आधार पर द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, रामनाथपुरम की न्यायालय में शुरू किया गया था।इस व्यक्ति को इस न्यायालय के समक्ष 24.2.2021 पर पेश किया गया था।न्यायालय में पूछताछ की गई और जारी किए गए कारणदर्शक नोटिस में उल्लिखित प्रावधानों को देवधासन 28/21, S/O DEIVENTHIRAN, MARAVETTIVALSAI को विस्तार से समझाया गया और पक्षकारों की दलीलें ली गईं।

/

/

873

देवदासन बनाम द सेकंड क्लास एक्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, रामनाथपुरम और ओआरएस। [जे. के. माहेश्वरी, जे.] ए.

/

इन सभी तथ्यों और जांच से प्राप्त जानकारी पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि व्यक्ति नाम देवधासन 28/21, s/o DEIVENTHIRAN से इलाके में शांति भंग होने की संभावना है और इसलिए धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता तहत बाध्य होगा। 50, 000/- बिना किसी प्रतिभूति के, एक वर्ष की अवधि के लिए।

/

इस प्रकार, यह द्वितीय श्रेणी का पूर्व न्यायालय । मजिस्ट्रेट और तहसीलदार, रामनाथपुरम ने इसके द्वारा एक करोड़ रुपये के बॉन्ड को निष्पादित करने का आदेश दिया। 50, 000/- प्रतिभू के बिना, 1 वर्ष की अवधि के लिए, जिसमें विफल रहने पर वह बांड की अवधि के दौरान शर्तों के उल्लंघन के मामले में उपरोक्त धारा 122 (1) (ए) के तहत कारावास की सजा काटेंगे, व्यक्तिगत राज्य को धारा 122 (1) (बी) के तहत शेष अवधि के लिए कारावास होगा।

/

एसडी/-

द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट

& तहसीलदार

/

रामनाथपुरम "7. बांड के निष्पादन के बाद, 2021 के अपराध संख्या 141 पर पी. एस. उचिपुली, रामनाथपुरम में भारतीय दंड संहिता सी. की धारा 147/148/342 302 आर/डब्ल्यू 109/120 (बी) के अंतर्गत अपराधों के लिए सह-अभियुक्त के रूप में अपीलार्थी के साथ जुड़ना दर्ज किया गया और बांड के नियमों और शर्तों का उल्लंघन किया गया।जवाब मांगने के लिए एक कारण दर्शाओ नोटिस जारी किया गया था और 7.5.2021 पर प्रतिवादी संख्या 1 के समक्ष अपीलार्थी की उपस्थिति भी मांगी गई थी।उन्होंने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया और उनका बयान दर्ज किया गया।प्रतिवादी संख्या 1 ने अवसर प्रदान करते हुए 13.5.2021 पर आदेश पारित किया जिसमें अपीलार्थी को बांड के नियमों और शर्तों के उल्लंघन के लिए दोषी ठहराया गया और धारा 122 (1) (बी) दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत दंडित किया गया। आदेश के अनुसरण में, उसे गिरफ्तार किया जाता है और जेल भेज दिया जाता है।यह देखने के लिए है कि दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय VIII. कार्यकारी मजिस्ट्रेट को सुरक्षा बनाए रखने और नागरिकों द्वारा शांति और अच्छे व्यवहार को बनाए रखने के लिए बंधन लेने की शक्तियां प्रदान करता है।धारा 107 Cr.P.C के अनुसार, यह जानकारी प्राप्त करने पर कि किसी भी व्यक्ति के शांति भंग करने या सार्वजनिक शांति को बिगाड़ने या कोई गलत काम करने की संभावना है, कार्यकारी मजिस्ट्रेट के पास शांति बनाए रखने के लिए इस तरह से निष्पादित बांड की शर्तों के उल्लंघन पर कारण दिखाने की शक्ति हो सकती है।Cr.P.C की धारा

108 के अनुसार, राजद्रोही मामलों का प्रसार करने वाले व्यक्तियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा बनाए रखने के लिए इसी तरह की शक्ति दी गई है।इसी तरह, संदिग्ध व्यक्तियों और आदतन अपराधियों से अच्छे व्यवहार के लिए सुरक्षा लेने के लिए, धारा 109 के अंतर्गत शक्तियां

/

/

/

/

और 110 दंड प्रक्रिया संहिता कार्यकारी मजिस्ट्रेट को प्रदान किए गए हैं।वर्तमान मामले में, सुरक्षा के लिए धारा 111 और 117 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत आदेश पारित किया गया था।उल्लंघन पर, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता अंतर्गत निर्दिष्ट उपाय स्वीकार्य है।इसलिए, विधानमंडल ने उक्त अध्याय पेश किया जिसमें अधिकारियों को इलाके के नागरिकों द्वारा सार्वजनिक व्यवस्था में शांति और शांति के उल्लंघन के लिए कार्रवाई करने की शक्तियां प्रदान की गईं, अन्यथा, निर्धारित प्रक्रिया का पालन करके, सक्षम प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जा सकती है।

/

8. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने अल्डनिश और देवी (ऊपर) के मामलों में दिल्ली उच्च न्यायालय के साथ-साथ मद्रास उच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों पर बहुत अधिक भरोसा किया है, जिसमें सामान्य रूप से इस बात पर जोर दिया गया है कि प्रशासनिक अधिकारी इस प्रकार निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं और नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के महत्व पर जोर देते हुए गोपालनाचारी (ऊपर) के निर्णय पर भी भरोसा किया है।लेकिन, मामले के तथ्यों में, कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता अध्याय VIII के अंतर्गत विचार की गई प्रक्रिया का कैसे और किस तरीके से पालन किया गया है।यह एक सामान्य विधि है कि विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करके नागरिकों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता से निपटा जा सकता है।इस मामले के तथ्यों को देखते हुए, अपीलार्थी द्वारा धारा 117 दंड प्रक्रिया संहिता साथ पठित धारा 110 के अंतर्गत 24.2.2021 पर निष्पादित बांड का उसके द्वारा एक आपराधिक मामले में शामिल होने के कारण उल्लंघन किया गया है, जिसे बाद में दर्ज किया गया है।वर्तमान मामले में,

अपीलार्थी द्वारा निष्पादित बंधपत्र पर सवाल नहीं उठाया गया है।वास्तव में, विधि के जनादेश के अनुसार बांड के उल्लंघन के कारण उसे हिरासत में भेजने के लिए दिनांकित 13.5.2021 आदेश पारित करने की बाद की कार्रवाई पर हमला किया गया है।ऊपर की गई चर्चा के अनुसार, हमारी सुविचारित राय में, प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश प्रक्रिया का पालन करने के बाद है, इस प्रकार निर्धारित किया गया है और अपीलार्थी को उचित अवसर प्रदान करता है।उच्च न्यायालय ने उक्त आदेश की सही पुष्टि की है।तथ्यों में, अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा दिए गए तर्क को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

/

/

/

/

9. ऊपर की गई चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय और प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा पारित आदेश किसी भी हस्तक्षेप की मांग नहीं करते हैं।इसलिए, यह अपील किसी भी योग्यता से रहित है, इसलिए खारिज कर दी जाती है।

/

निधि जैन

याचिका खारिज कर दी गई।

/